भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*43
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

**अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले**

***43. कुंवर दानिश अली :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सात मिलियन से अधिक मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामलों के इतनी बड़ी संख्या में लंबित होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या खराब अवसंरचना इसका एक कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना को बेहतर बनाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ;

(घ) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित देश में अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिये आरंभ किये जाने हेतु प्रस्तावित अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक पीठ की न्यायोचित एवं पुरानी मांग पर सहमत होने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याहय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**
**(श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ङ) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *43 जिसका उत्तर 20 नवंबर, 2019 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ड.) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) और (ख) :** राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (14 नवंबर , 2019 तक) में उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 75,01,283 मामले लंबित हैं । उत्तर प्रदेश राज्य में जिला वार लंबित मामलों की संख्या उपाबंध में दी गई है।

जहां तक, न्यायालयों में मामलों के लंबित होने के कारणों का संबंध है , यह कथन किया जाता है कि न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, जांच अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग और सुनवाई के लिए मामलों को एकत्रित करना, मॉनीटरी, ट्रैक करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का उचित रूप से लागू होना, भी है ।

**(ग) :** उच्च न्यायालयों और जिला/ अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना/न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । इन प्रयासों को पूरा करने के लिए, संघ सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्र और राज्यों के बीच विहित निधि विभाजन पैटर्न में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रही है । स्कीम को वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित किया जा रहा है । इसके अंतर्गत न्यायालय हॉल और न्यायालय परिसरों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए न्यायिक अधिकारियों के आवासीय निवासों का संन्निर्माण आता है । उत्तर प्रदेश के मामले में, इस स्कीम के प्रारंभ होने से तारीख 15.11.2019 तक 1101.60 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 550.31 करोड़ रूपये वर्ष 2014-15 के समय से मंजूर किये गये है (जो इस स्कीम के अधीन जारी कुल राशि का लगभग 50 प्रतिशत है ) । चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 , के दौरान , उत्तर प्रदेश राज्य को 121.94 करोड़ रुपय की राशि मंजूर की गई है । इस स्कीम के अधीन , उत्तर प्रदेश राज्य में 2012 न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या के सापेक्ष तारीख 15.11.2019 तक, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 2278 न्यायालय हॉल और 1937 आवासीय इकाईयां उपलब्ध करा दी गई हैं । इसके अतिरिक्त , उत्तर प्रदेश में 332 न्यायालय हॉल और 401 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं ।

सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मामलों में, इस स्कीम के प्रारंभ होने से तारीख 15.11.2019 तक 7453.10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 4008.80 करोड़ रूपये वर्ष 2014-15 से मंजूर किये गये हैं, (जो इस स्कीम के अधीन जारी कुल राशि का लगभग 54 प्रतिशत है) । चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान , आवंटित बजट 710.00 करोड रूपये में से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 702.86 करोड़ रुपये की राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है । इस स्कीम के अधीन, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के 17,342 न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या के सापेक्ष तारीख 15.11.2019 तक, 19,414 न्यायालय हॉल और 17,103 आवासीय

इकाईयां उपलब्ध करा दी गई हैं । इसके अतिरिक्त , 2,822 न्यायालय हॉल और 1,869 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं ।

**(घ) :** संविधान के अनुच्छेद 39क के अधीन आदेश के अनुसार न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार मामलों के त्वरित निपटान और मामलों के लम्बन में कमी हेतु प्रतिबद्ध है । संघ सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहल की हैं । वर्ष 2011 में सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने न्यायिक प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर लंबित और चरणबद्ध परिसमापन के लिए अनेक सामरिक पहलों के माध्यम से एक समन्वयिक दृष्टिकोण को अंगीकार किया है, जिसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना (न्यायालय हॉल और आवासीय इकाईयां) में सुधार , बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को बढ़ावा , उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना , जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्तर पर बकाया मामले समितियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से लंबित मामलों में कमी, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर बल और विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान करने के लिए पहल भी है । इसके अतिरक्त, सभी पणधारी, जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, कंप्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में न्यायिक कार्यवाहियों /निर्णयों से संबंधित सूचना को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर प्राप्त कर सकते हैं । इस समय, बादकारी, एनजेडीजी से कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से 12.23 करोड़ से अधिक लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 10.26 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में प्रास्थिति सूचना प्राप्त कर सकते है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के अधीन संचालित लोक अदालतों में विचार किए गए और निपटाए गए लंबित मामलों को भी प्राप्त किया जा सकता है । वर्ष 2015 से आज की तारीख तक 172.60 लाख लंबित मामलों का निपटान किया गया है जबकि वर्ष 2015-16 से जून 2019 के दौरान 88.40 लाख लंबित मामलों का लोक अदालतों में निपटान किया गया है ।

**(ङ.) :** उच्च न्यायालयों की खंडपीठ जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सी) सं. 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा उद्घोषित निर्णय के अनुसार तथा राज्य सरकार से प्राप्त संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति तथा उस पर सम्यक विचार करने के पश्चात् , जिसमें संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति , जो उच्च न्यायालय के और उसके खंडपीठ के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं , की सहमति के साथ अवसंरचना प्रदान करने और संबंधित व्यय को चुकाने की तत्परता भी सम्मिलित है, स्थापित की जाती हैं । प्रस्ताव में संबंधित राज्य के राज्यपाल की भी सहमति होनी चाहिए । उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव (सभी परिप्रेक्ष्यों में पूर्ण) प्राप्त नहीं हुआ है ।

**********

**उपाबंध**

**लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या * 43 जिसका उत्तर तारीख 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण**

**उत्तर प्रदेश राज्य में लंबित मामलों की जिले-वार संख्या**

| क्र.सं. | राज्य | लंबित मामले |
|---|---|---|
| 1 | आगरा | 206,069 |
| 2 | अलीगढ़ | 142,504 |
| 3 | इलाहाबाद | 275,404 |
| 4 | अंबेडकरनगर | 64,944 |
| 5 | औरैया | 47,694 |
| 6 | आजमगढ़ | 150,224 |
| 7 | बागपत | 45,947 |
| 8 | बहराइच | 120,570 |
| 9 | बलिया | 96,213 |
| 10 | बलरामपुर | 56,578 |
| 1 1 | बांदा | 51,319 |
| 12 | बाराबंकी | 88,927 |
| 13 | बरेली | 162,999 |
| 14 | बस्ती | 76,421 |
| 15 | भदोही एस आर नागा | 40,325 |
| 16 | बिजनौर | 93,936 |
| 17 | बदांयू | 99,990 |
| 18 | बुलंद्शहर | 126,076 |
| 19 | चंदौली | 55,889 |
| 20 | चित्रकूट | 20131 |
| 21 | देवरिया | 120,015 |
| 22 | एटा | 64,278 |
| 23 | इटावा | 53397 |
| 24 | फैजाबाद | 120,577 |
| 25 | फर्रुखाबाद | 81,037 |
| 26 | फतेहपुर | 88,331 |
| 27 | फिरोजाबाद | 114,466 |
| 28 | गौतमबुद्ध नगर | 163,268 |
| 29 | गाज़ियाबाद | 205,128 |
| 30 | गाजीपुर | 103,668 |
| 31 | गोंडा | 112,391 |
| 32 | गोरखपुर | 195,706 |
| 33 | हमीरपुर | 29379 |
| 34 | हापुड़ | 53,068 |
| 35 | हरदोई | 102,363 |
| 36 | हाथरस | 47,289 |
| 37 | जालौन | 54,612 |
| 38 | जौनपुर | 173,406 |
| 39 | झांसी | 84604 |
| 40 | ज्योतिबा फूले नगर | 54,774 |
| 41 | कन्नौज | 55300 |
| 42 | कानपुर देहात | 91,989 |
| 43 | कानपुर नगर | 271,696 |
| 44 | कांशीराम नगर | 38,389 |
| 45 | कौशाम्बी | 61,876 |
| 46 | कुशीनगर | 129,239 |
| 47 | लखीमपुरा | 123,501 |
| 48 | ललितपुर | 48,996 |
| 49 | लखनऊ | 322,926 |
| 50 | महाराजगंज | 69,207 |

| | | |
|---|---|---|
| 51 | महोबां | 21861 |
| 52 | मैनपुरी | 66,942 |
| 53 | मथुरा | 122,768 |
| 54 | मऊ | 88230 |
| 55 | मेरठ | 195,551 |
| 56 | मिर्जापुर | 78,301 |
| 57 | मुरादाबाद | 101,159 |
| 58 | मुजफ्फरनगर | 114,660 |
| 59 | पीलीभीत | 59262 |
| 60 | प्रतापगढ़ | 145,601 |
| 61 | रायबरेली | 108,604 |
| 62 | रामपुर | 58,585 |
| 63 | सहारनपुर | 130,613 |
| 64 | चंदौसी स्थित संभल | 59,160 |
| 65 | संतकबीर नगर | 48,533 |
| 66 | शहांजहानपुर | 98007 |
| 67 | शामली | 35,360 |
| 68 | श्रावस्ती | 27,296 |
| 69 | सिद्धार्थनगर | 69,758 |
| 70 | सीतापुर | 135,703 |
| 71 | सोनभद्र | 58,019 |
| 72 | सुल्तानपुर | 163,219 |
| 73 | उन्नाव | 92,587 |
| 74 | वाराणसी | 164,468 |
| | **कुल** | **75 , 01 , 283** |

**********